


आदेश

सीमांकन हेतु आवेदक को online portal के माध्यम से आवेदन देना हेतु निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही इस लाइ की कमीपाई समाप्त की जाती है।

  
अंकन अधिकारी  
-चा.स.